अनुदान संख्या 53 – पुलिस
GRANT No. 53–POLICE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*3,78,00*	*2,57,74*	*–1,20,26*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	26502,26,00		27094,73,00	26808,81,25	–285,91,75
पूरक	Supplementary	592,47,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*7,05,00*		*7,75,00*	*5,75,96*	*–1,99,04*
पूरक	*Supplementary*	*70,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*21,80*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	7521,77,00		7521,81,00	5269,71,42	–2252,09,58
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1519,52,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत *62.81 लाख रु.* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 45 प्रतिशत थी ।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving of *Rs.62.81 lakhs* occurred under one head constituting 45 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (28591.75 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 59247.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 48 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.28591.75 lakhs) constituted 48 percent of the supplementary grants of Rs.59247.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	2496356.00			
पू.	S.	59246.00	2561577.30	2534209.53	–27367.77
पु.	R.	5975.30			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	152550.00	143944.00	143231.72	–712.28
पु.	R.	–8606.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	1320.00			
पू.	S.	1.00	3951.70	3440.00	–511.70
पु.	R.	2630.70			

(I) 642.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2055''- ''शिक्षा और प्रशिक्षण - अवैध व्यापार रोकना'' के अंतर्गत एक मामले में प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) मुख्य शीर्ष ''2055''- ''असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन'' के अंतर्गत 220881.00 लाख रुपए के मूल प्रावधान को 13000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 233881.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, शस्त्रों और गाोला बारूद की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, गोलीरोधी जाकेटों की अधिप्राप्ति को मूर्तरूप न दिए जाने, पूर्तिकर्ता से बिलों की प्राप्ति न होने, मणिपुर के विद्रोह प्रतिघात क्षेत्र में दैनिक मजदूरों की कमी होने और सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों से दावे प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण 1840.21 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''शिक्षा और प्रशिक्षण - उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी''- 244.24 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) ''अनुसंधान - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो'' - 247.28 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, दिहाड़ी मजदूरों को कम संख्या में किराए पर रखे जाने और कार्यालय भवन के रख रखाव और प्रकाशन कार्य संबंधी प्रस्ताव के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(गा) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता'' -

(क) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - 873.29 लाख रु. की बचत (2271.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, दिहाड़ी मजदूरों को कम संख्या में किराए पर रखे जाने, 11वीं योजना परियोजनाओं के मूर्तरूप न लिए जाने, कर्मचारियों से कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.642.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2055" – "Education and Training – Anti Trafficking" – due to non-finalisation of proposals.

(II) Under Major Head "2055" – "Assam Rifles – Establishment and Administration" – the original provision of Rs.220881.00 lakhs was augmented to Rs.233881.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.13000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.1840.21 lakhs – due to non-finalisation of proposals for procurement of arms and ammunition, non-materialisation of procurement of Bullet Proof Jackets, non-receipt of bills from supplier, scarcity of casual labour in counter insurgency area of Manipur and delay in receipt of claims from personnel serving in remote areas.

(III) Under Major Head "2055" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Education and Training – North Eastern Police Academy" – saving of Rs.244.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to slow progress of work by Central Public Works Department.

(B) "Research - Bureau of Police Research and Development" – saving of Rs.247.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less daily wagers and non-materialisation of proposal for maintenance of office building and publication work.

(C) "Criminal Investigation and Vigilance" –

(a) "Central Forensic Science Laboratory" – saving of Rs.873.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2271.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less daily wagers, non-materialisation of 11th Plan Projects, receipt of less claims from employees and economy measures.

(ख) ''आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक'' - 128.42 - लाख रु. की बचत (758.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, 11वीं योजना परियोजनाओं के मूर्तरूप न लिए जाने, कर्मचारियों में कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''न्यायिक विज्ञान निदेशालय''- 109.00 लाख रु. की बचत (310.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान प्रावधान की तुलना में) 11वीं योजना परियोजना के मूर्तरूप न लिए जाने के कारण हुई।

(घ) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - 261.98 लाख रु. की बचत (595.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और चेन्नई, कोलकाता एवं मुंबई में नई इकाइयों के लिए फर्नीचर और जुड़नारों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) ''विशेष पुलिस - सीमा जांच चौकियां''- 288.00 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) ''बेतार और कंप्यूटर'' - राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो'' - 647.76 लाख रु. की बचत (1965.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, अधिकारियों द्वारा कम दौरे किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''पुलिस बल का आधुनिकीकरण - आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली पुलिस को सहायता'' - 4803.44 लाख रु. की बचत (12240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों से मांगें एवं आवक दावे प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(छा) ''दिल्ली पुलिस'' -

(b) "Government Examiner of Questioned Documents" – saving of Rs.128.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.758.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of 11th Plan Projects, receipt of less claims from employees and economy measures.

(c) "Directorate of Forensic Science" – saving of Rs.109.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.310.00 lakhs) was due to non-materialisation of 11th Plan Project.

(d) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" – saving of Rs.261.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.595.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of proposal for procurement of office furniture and fixtures for new units at Chennai, Kolkata and Mumbai.

(D) "Special Police – Border Check Posts" – saving of Rs.288.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims from State Governments.

(E) "Wireless and Computers – National Crime Records Bureau" – saving of Rs.647.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1965.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken by the officials and economy measures.

(F) "Modernisation of Police Force – Assistance to Delhi Police for Modernisation" – saving of Rs.4803.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12240.00 lakhs) was due to non-receipt of demands from the projects executing agencies and inward claims and economy measures.

(G) "Delhi Police" –

(क) ''निदेशन और प्रशासन'' - 17841.84 लाख रु. की बचत (276198.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिपाहियों कें पद की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में विलम्ब होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''दिल्ली पुलिस में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेशन'' - 2986.71 लाख रु. की बचत (4050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यातायात और संचार तंत्र के विकास के प्रस्तावों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(जा) ''सशस्त्र सीमा बल - स्थापना'' - 7673.08 लाख रु. की बचत (141561.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शस्त्रों और गोला बारुद की कम अधिप्राप्ति किए जाने, कम्प्यूटरों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, कर्मचारियों से कम दावे प्राप्त होने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने, नए भर्ती किए गए कर्मचारियों से उनकी स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्याएं प्राप्त न होने की वजह से उन्हें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि की अदायगी न किए जाने, पूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त न होने और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(झा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''भारत बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य'' - 357.33 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' - 290.52 लाख रु. की बचत (4966.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(a) "Direction and Administration" – saving of Rs.17841.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.276198.00 lakhs) was due to delay in completion of recruitment process for the post of constables and economy measures.

(b) "Induction of Latest Technology in Delhi Police" – saving of Rs.2986.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4050.00 lakhs) was due to deferment of the proposals for development of Traffic and Communication Network to the next financial year.

(H) "Sashastra Seema Bal – Establishment" – saving of Rs.7673.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.141561.00 lakhs) was due to less procurement of arms and ammunition, non-finalisation of proposal for purchase of computers, non-filling up of vacant posts, receipt of less claims from employees , non-completion of work by Central Public Works Department, non-payment of 6th Pay Commission arrears to the newly recruits owing to non-receipt of their Permanent Retirement Account Numbers (PRAN), non-receipt of bills from supplier and receipt of less claims from Directorate General of Supplies and Disposals.

(I) "Other Expenditure" –

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" – saving of Rs.357.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs); and

(b) "Indo-Pak Border Works" – saving of Rs.290.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4966.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress of work by the Central Public Works Department and economy measures.

(ग) ''बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण'' - 921.41 लाख रु. की बचत (4120.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अंडमान और निकोबार के संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घ) ''अपराध और आपराधिक तंत्र प्रणाली'' - 4871.43 लाख रु. की बचत (16443.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरणझ्राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' - 2000.00 लाख रु. की बचत (100500.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''पुलिस - अन्य अनुदान - राज्यों को विशेष सहायता'' - 1018.28 लाख रु. की बचत (38500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने और जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों पर असम की सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में संकटकालीन अवसंरचना'' - 7000.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3602''-''योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - विधानमंडल वाले संघ राज्य

(c) "Modernisation of Police Forces of the Union Territories without Legislature" – saving of Rs.921.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4120.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Union Territory of Andaman and Nicobar Islands for modernization of Police Force.

(d) "Crime and Criminal Network System" – saving of Rs.4871.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16443.00 lakhs) was due to non-finalisation of Memorandum of Understanding with States and economy measures.

(IV) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants" –

(a) "Police - Modernisation of Police Force – Strengthening of State Police Organisations" – saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100500.00 lakhs) was due to economy measures.

(b) "Police - Other Grants – Special Assistance to States" – saving of Rs.1018.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.38500.00 lakhs) was due to receipt of less reimbursement claims from State Governments and non-receipt of proposals from Government of Assam on Rehabilitation Programmes for the people affected by ethnic violence.

(B) "Grants for State Plan Schemes – Police - Other Grants –Critical Infrastructure in extremist Affected Areas" – saving of Rs.7000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(V) Under Major Head – "3602" – "Non-Plan Grants - Police - Modernisation of Police Force

क्षेत्रों में पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 880.00 लाख रु. की बचत (1320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई ।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 64.72 लाख रु.की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (27454.05 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 59247.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055''-

(क) "निदेशन और प्रशासन - केन्द्रीय परा सैन्य बलों का विभागीय लेखा संगठन'' - 2675.39 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2204.24 लाख रु. था।

(ख) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - स्थापना'' - 6348.36 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5579.64 लाख रु. था।

(ग) "सीमा सुरक्षा बल'' -

(i) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय''- 2317.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2256.68 लाख रु. था।

(ii) "भारत-तिब्बत सीमा पुलिस"- 2703.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2636.42 लाख रु. था।

(घ) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - स्थापना''- 3165.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2824.35 लाख रु. था।

– Strengthening of Police Organisations in UTs with Legislature" – saving of Rs.880.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1320.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Union Territories Governments.

(VI) Under one head saving of Rs.64.72 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.27454.05 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.59247.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" –

(a) "Direction and Administration – Departmental Accounting Organisation of Central Para Military Forces" – Rs.2675.39 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2204.24 lakhs.

(b) "Central Reserve Police – Establishment" – Rs.6348.36 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5579.64 lakhs.

(c) "Border Security Force" –

(i) "Directorate General of Border Security Force" – Rs.2317.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2256.68 lakhs.

(ii) "Indo-Tibetan Border Police" – Rs.2703.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2636.42 lakhs.

(d) "National Security Guard – Establishment" – Rs.3165.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2824.35 lakhs.

(ङ.) ''औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन और प्रशासन'' - 5100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5067.51 लाख रु. था।

(च) ''पुलिस कार्मिकों का कल्याण - केन्द्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान''- 2145.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2143.24 लाख रु. था ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - राष्ट्रमंडल खेल - 2010 के लिए एकीकृत समाधान'' - 3000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2999.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055''- ''शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी''- 1112.30 लाख रु. का अधिक व्यय (3017.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हीरक जयंती समारोह एवं समापन समारोह आयोजित करने, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के अनिवार्य मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सायबर न्यायिक इंटरनेट अपराध से संबंधित पाठ्यक्रमों के उन्नयन, अकादमी मैदानों/ उद्यानों के सौंदर्यीकरण और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान'' -

(क) ''बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्राप्त अतिरिक्त दावों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''भारतीय आरक्षी बटालियनें'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिपूर्ति

(e) "Industrial Security Force - Direction and Administration" – Rs.5100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5067.51 lakhs.

(f) "Welfare of Police Personnel – Welfare Grant to Central Police Organisations"– Rs.2145.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2143.24 lakhs.

(B) Major Head "3602" – "Grants for Union Territory Plan Schemes - Block Grants – Integrated Solution for Commonwealth Games – 2010" – Rs.3000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2999.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" – "Education and Training - National Police Academy" – excess of Rs.1112.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3017.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for conducting Diamond Jubilee function and passing out parade, mandatory Mid Career Training Programme (MCTP) of IPS Officers, upgradation of courses in Cyber Forensic Internet Crime, beautification of academy lawns/ gardens and towards implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(B) Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Police - Other Grants" –

(a) "Reimbursement to States for deployment of Battalions" – excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to settle additional claims received from the State Governments.

(b) "India Reserve Battalions" – excess of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to

बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

requirement of additional funds to clear re-imbursement bills received from the State Governments.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में कुल बचतें *(199.04 लाख रु.)* दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए *70.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत *विनियोग* का 26 प्रतिशत थीं।

4 In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.199.04 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.70.00 lakhs* obtained in December, 2009 and constituted 26 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4055'' *पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय*	Major Head "4055" *Capital Outlay on Police*				
मू.	*O.*	*205.00*			
पू.	*S.*	*70.00*	*275.00*	*100.96*	*–174.04*

(I) *90.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से *70.00 लाख रु.* का *विनियोग* अकेले विधिक प्रभार बिलों के प्राप्त न होने के कारण ''अन्य व्यय - भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) *Appropriation* of *Rs.90.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads; of these supplementary *appropriation* of *Rs.70.00 lakhs* alone accounted for under "Other Expenditure – Indo-Pak Border Works" – due to non-receipt of legal charges bills.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	740177.00			
पू.	S.	4.00	588229.00	515116.52	–73112.48
पु.	R.	–151952.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas	12000.00	11854.90	–145.10

(I) 1900.25 लाख रु. का प्रावधान (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 1900.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो''- 1500.00 लाख रु. महिपालपुर और भोपाल में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य'' - 200.00 लाख रु.; और

(ख) ''भारत-भूटान सीमा निर्माण कार्य''- 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''4055'' अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय आरक्षी पुलिस - आधुनिकीकरण'' - 1907.04 लाख रु. की बचत (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 0.20 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 4457.20 लाख रु.

(I) Provision of Rs.1900.25 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh obtained in December, 2009) remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1900.00 lakhs accounted for under Major Head "4055" – under the following heads:-

(A) "Research, Education and Training - Bureau of Police Research and Development" – Rs.1500.00 lakhs – due to non-finalisation of proposals for construction of Police Training Academy at Mahipalpur and Bhopal and non-receipt of utilization certificates from Central Public Works Department.

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Indo-Nepal Border Works" – Rs.200.00 lakhs; and

(b) "Indo-Bhutan Border Works" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of proposals.

(II) Under Major Head "4055" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police - Modernisation" – saving of Rs.1907.04 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4457.20 lakhs

के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''असम राइफल्स'' -

(क) ''सामान्य'' - 1357.73 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की पूर्ति संबंधी प्रस्तावों के मूर्तरूप न लिए जाने और पूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''आधुनिकीकरण'' - 395.74 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) ''राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड'' -

(क) ''सामान्य'' - 969.92 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और विभिन्न स्थानों पर निविदाओं को रद्द किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''आधुनिकीकरण'' - 778.22 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम अधिकारी से स्वीकृतियां प्राप्त न होने और विभिन्न स्थानों पर निविदाएं रद्द किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''औद्योगिक सुरक्षा बल'' -

(क) ''रिहायशी भवन'' - 250.17 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

including token supplementary grant of Rs.0.20 lakh obtained in March, 2010) was due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments.

(B) "Assam Rifles" –

(a) "General" – saving of Rs.1357.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for supply of vehicles and non-receipt of bills from the supplier.

(b) "Modernisation" – saving of Rs.395.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments.

(C) "National Security Guard" –

(a) "General" – saving of Rs.969.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of motor vehicles, non-receipt of sanctions from competent authority and scrapping of tenders at various places.

(b) "Modernasation" – saving of Rs.778.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-receipt of sanctions from the competent authority and scrapping of tenders at various places.

(D) "Industrial Security Force" –

(a) "Residential Buildings" – saving of Rs.250.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(ख) ''सामान्य'' - 154.99 लाख रु.की बचत (1788.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(b) "General" – saving of Rs.154.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1788.00 lakhs) was due to economy measures.

(ड.) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण'' -

(E) "Research, Education and Training" –

(क) ''राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान'' - 428.19 लाख रु. की बचत (640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "National Institute of Criminology and Forensic Science" – saving of Rs.428.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.640.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments.

(ख) ''उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी'' - 687.57 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने और मशीनरी एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "North Eastern Police Academy" – saving of Rs.687.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department and non-receipt of approval from the competent authority for procurement of machinery and equipments.

(चा) ''दिल्ली पुलिस - सामान्य'' - 1914.22 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 11654.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्लोज सर्किट टेलीविजनों को लगाए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित किए जाने और पूर्ति तथा निपटान निदेशालय से आवक दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(F) "Delhi Police – General" – saving of Rs.1914.22 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.11654.25 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh obtained in December, 2009) was due to non-finalisation of proposal for installation of Close Circuit Televisions, deferment of the proposals for procurement of machinery and equipments to the next financial year and non-receipt of inward claims from Directorate General of Supplies and Disposals.

(छा) ''सशस्त्र सीमा बल'' -

(G) "Sashastra Seema Bal" –

(क) ''रिहायशी आवास'' - 741.95 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3000.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने और गुवाहाटी और लखनऊ में बने बनाए फ्लैटों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Residential Buildings" – saving of Rs.741.95 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3000.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in December, 2009) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department and non-finalisation of proposals for purchase of ready built flats at Guwahati and Lucknow.

(ख) ''सीमा चौकियां''- 1015.03 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने, एफटीआर पटना के अधीन सीमा चौकियों पर निविदा के पूरा किए जाने में विलम्ब होने और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Border Out Posts" – saving of Rs.1015.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department, delay in completion of tender at Border Outposts under FTR Patna and non-receipt of claims from Directorate General of Supplies and Disposals.

(ग) ''सामान्य''- 3796.14 लाख रु. की बचत (7200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाएं रद्द किए जाने की वजह से मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और पूर्ति आदेशों के अंतर्गत विभिन्न पूर्तिकर्ताओं से भंडारों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(c) "General" – saving of Rs.3796.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments owing to scrapping of tenders at the eleventh hour and non-receipt of stores from various suppliers against supply orders.

(घ) ''आधुनिकीकरण'' - 4555.48 लाख रु. की बचत 7009.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों और मशीनरी एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और पूर्ति आदेशों के अंतर्गत विभिन्न पूर्तिकर्ताओं से भंडारों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(d) "Modernisation" – saving of Rs.4555.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7009.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of motor vehicles and machinery equipments and non-receipt of stores from various suppliers against supply orders.

(जा) ''अन्य व्यय''-

(H) "Other Expenditure" –

(क) ''केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला''- 2206.33 लाख रु. की बचत (3633.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन और मशीनरी एवं उपस्करों के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(a) "Central Forensic Science Laboratory" – saving of Rs.2206.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3633.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for office building and machinery and equipments.

(ख) ''भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य''- 27924.80 लाख रु. की बचत (107623.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा क्षेत्रों में गोलीबारी की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने, मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, सड़क परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल में संविदाकारों के साथ मुकदमेबाजी होने और मेघालय में लोगों के विरोध एवं

(b) "Indo-Bangladesh Border Works" – saving of Rs.27924.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.107623.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department owing to firing at border areas, non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments, litigation case with contractor in West Bengal in road

स्थानीय आंदोलन की वजह से कार्य में रुकावट आने के कारण हुई।

(ग) "भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य" - 4723.64 लाख रु. की बचत 20484.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा क्षेत्रों में गोलीबारी की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने और पूर्तिकर्ताओं से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घ) "तटीय सुरक्षा" - 2816.61 लाख रु.की बचत (18271.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपयार्ड्स लि. से उपयुक्त बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य" - 2196.32 लाख रु. की बचत (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) म्यांमार की ओर से आपत्तियां किए जाने की वजह से निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने और बाड़ निर्माण कार्यों के लिए प्राधिकरण प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(च) "तटीय सुरक्षा/उच्च तकनीकी निगरानी" - 323.00 लाख रु. की बचत 455.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(छ) "आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक" - 481.84 लाख रु. की बचत 583.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन और मशीनरी एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ज) "राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो" - 336.31 लाख रु.की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंगुलिछाप रिकार्डों के लिए स्वचालित भंडारण प्रणाली के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से बिलों की प्राप्ति न होने, अपराध और आपराधिक खोज नेटवर्क

projects and disruption of work in Mehgalaya owing to public protest and local agitation.

(c) "Indo-Pak Border Works" – saving of Rs.4723.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20484.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department owing to firing at border areas and non-receipt of bills from the suppliers.

(d) "Coastal Security" – saving of Rs.2816.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18271.00 lakhs) was due to non-receipt of proper bills from M/s. Goa Shipyards Ltd. and Garden Reach Shipyards Ltd.

(e) "Indo-Myanmar Border Works" – saving of Rs.2196.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs) was due to slow progress of construction works owing to objections raised by the Myanmar side and delay in receipt of authorization for fencing works.

(f) "Coastal Security/High Tech Surveillance" – saving of Rs.323.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.455.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(g) "Govt. Examiner of Questioned Documents" – saving of Rs.481.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.583.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for office building and procurement of machinery and equipments.

(h) "National Crime Record Bureau" – saving of Rs.336.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for Automated Storage system for finger print records, non-receipt of bills from Mahanagar Telephone Nigam Limited,

प्रणालियों के अंतर्गत समान एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग में प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय पुलिस कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित हार्डवेयर की अधिप्राप्ति किए जाने और भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण हुई।

procurement of hardware for Regional Police Computer Training Center (RPCTC) for imparting training in Common Integrated Police Application (CIPA) under Crime and Criminal Tracking Network Systems (CCTNS) and non-acquisition of land.

(झ) ''अनुसंधान'' - 206245.72 लाख रु. की बचत (277900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ मुख्य परियोजनाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(i) "Research" – saving of Rs.206245.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.277900.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from the competent authority for some of the major projects.

(ञ) ''केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - 322.93 लाख रु. की बचत (358.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी कारणों से मशीनरी एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति और कार्यालय भवन के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(j) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" – saving of Rs.322.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.358.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments and renovation of office building owing to technical reasons.

(III) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''सशस्त्र सीमा बल - रिहायशी भवन''- 447.66 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4552" – "Sashastra Seema Bal - Residential Buildings" – saving of Rs.447.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 136.92 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत और 98 प्रतिशत थी ।

(IV) Under two heads savings of Rs.136.92 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 29 percent and 98 percent of the sanctioned provision.

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (26373.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर,2009 और मार्च, 2010 में 4.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

6.(I) The above savings were partly (Rs.26373.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.4.00 lakhs in December, 2009 and March, 2010 under Major Head "4055" – under the following heads:-

(का) ''केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - कार्यालय भवन'' - 4800.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4631.85 लाख रु.था ।

(A) "Central Reserve Police – Office Buildings" – Rs.4800.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4631.85 lakhs.

(खा) ''असम राइफल्स''-

(क) ''कार्यालय भवन'' - 2700.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2698.97 लाख रु. था।

(ख) ''रिहायशी भवन" - 3489.00 लाख रु। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3624.58 लाख रु.था।

(ग) ''सीमा चौकियां" - 300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 299.73 लाख रु.था ।

(गा) ''सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक''- 10480.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11834.45 लाख रु. था ।

(घा) ''राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - कार्यालय भवन'' - 2000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 557.38 लाख रु. था।

(ङ) ''दिल्ली पुलिस'' -

(क) ''कार्यालय भवन" - 1604.00 लाख रु। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1591.48 लाख रु. था।

(ख) ''रिहायशी भवन'' - 1000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 998.96 लाख रु.था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।

(का) मुख्य शीर्ष ''4055'' -

(क) ''केन्द्रीय आरक्षी पुलिस'' -

(i) ''रिहायशी भवन'' - 1267.63 लाख रु. का अधिक व्यय (14300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने और प्रतिबद्ध देयताओं का निपटान किए जाने के लिए

(B) "Assam Rifles" –

(a) "Office Buildings" –Rs.2700.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2698.97 lakhs.

(b) "Residential Buildings" – Rs.3489.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3624.58 lakhs.

(b) "Border Out Post" – Rs.300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.299.73 lakhs.

(C) "Border Security Force – Directorate General of Border Security Force" – Rs.10480.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11834.45 lakhs.

(D) "National Security Guard - Office Buildings" – Rs.2000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.557.38 lakhs.

(E) "Delhi Police" –

(a) "Office Buildings" – Rs.1604.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1591.48 lakhs.

(b) "Residential Buildings" – Rs.1000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.998.96 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4055" –

(a) "Central Reserve Police" –

(i) "Residential Buildings" – excess of Rs.1267.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to

अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) ''सामान्य''- 7689.14 लाख रु. का अधिक व्यय (16265.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बारूदी सुरंग से संरक्षित वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''सीमा सुरक्षा बल - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस''- 2810.88 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 0.15 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 22735.15 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 30 टाटा 713 एलपीटीए एवं 46 स्टालियनों की अदायगी निपटाए जाने, एमटी फिटमेंटों, मशीनरी एवं उपस्करों के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की अधिप्राप्ति किए जाने और लम्बित देयताएं निपटाए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) ''औद्योगिक सुरक्षा बल - कार्यालय भवन''- 2027.90 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2150.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रमंडल खेलों में तैनात किए जाने के लिए 300 कमांडो और बल की चार कम्पनियों की वजह से ग्रेटर नोएडा में बैरकों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवयश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी''- 1089.77 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 0.15 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1050.15 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेष युक्तिक शाखा और वाहनों की मदों की अधिप्राप्ति, क्वार्टरों के नवीकरण, अतिरिक्त हिस्से पुर्जों की दरों में वृद्धि होने और चालू निर्माण कार्यों के पूरा किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

complete ongoing works and to clear committed liabilities.

(ii) "General" – excess of Rs.7689.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16265.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of Mine Protected Vehicles.

(b) "Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police" – excess of Rs.2810.88 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.22735.15 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.15 lakh obtained in March, 2010) was due to requirement of additional funds to clear payment of 30 TATA 713 LPTA & 46 Stallions, procurement of MT fitments, spare parts of machinery and equipments and to clear pending liabilities.

(c) "Industrial Security Force – Office Buildings" – excess of Rs.2027.90 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2150.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in December, 2009) was due to requirement of additional funds for construction of barracks in Greater Noida for 300 Commandos and four companies of force for deployment in Commonwealth Games.

(d) "Research, Education and Training – National Police Academy" – excess of Rs.1089.77 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1050.15 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.15 lakh obtained in March, 2010) was due to requirement of additional funds for procurement of items for Special Tactical Wing and vehicles, renovation of quarters, increase in rates of spare parts and completion of ongoing works.

(ङ·) ''अन्य व्यय - भारत-चीन सीमा'' - 2313.02 लाख रु. का अधिक व्यय (31500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़कों के निर्माण कार्य, सड़कों की भूमि के निवल वर्तमान मूल्य की उस मामले में अदायगी किए जाने जहां वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो गई है और दोमबोंग-गुराला सड़क, सिक्किम के लिए भूमि के निवल वर्तमान मूल्य प्रतिपूरक वनरोपण संबंधी प्रभार जमा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4552''- ''सीमा सुरक्षा बल - रिहायशी भवन'' - 364.73 लाख रु. का अधिक व्यय (1700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(e) "Other Expenditure – Indo-China Border" – excess of Rs.2313.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.31500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of roads, payment of net present value of land of roads where forest department clearance has been obtained and depositing of charges for Net Present Value of land and compensatory afforestation for Dombong-Gura La Road, Sikkim.

(B) Major Head "4552" – "Border Security Force – Residential Buildings" – excess of Rs.364.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear committed liabilities.